CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

Minister-in-Charge **Chief Minister, Haryana**

Administrative Secretary **Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Civil Aviation Department.**

Subject: SEPERATION OF CIVIL AVIATION DEPARTMENT FROM TRANSPORT DEPARTMENT HARYANA

****

In today's world quicker means of travel and fast communication are of paramount importance to attract investments. The status of development of civil aviation industry plays a crucial role in the development of a region or state. Civil Aviation department in Haryana thus was mainly concerned with the VIP's aircraft flight operations and imparting of flying and gliding training to the boys and girls at three centres of Haryana Institute of Civil Aviation situated at Pinjore, Karnal & Hisar civil aerodromes in the State. The department was looking after related work such as the procurement and maintenance of trainer aircrafts, gliders and other equipment needed/required for providing infrastructure facilities to pilot trainees and construction/development of new aerodromes airstrips and avionics buildings and maintenance of existing facilities at Pinjore, Karnal, Hisar, Bhiwani and Narnaul. In addition, the department also imparts practical training to the candidates desirous of obtaining their initial Aircraft Maintenance Engineer's Licence for the maintenance of aircraft.

2. Haryana Institute of Civil Aviation is providing flying and gliding training to the boys and girls of Haryana domiciles as well as others and prepare them for the issue of Commercial Pilot Licence, Assistant Pilot Instructor Rating and Pilot Instructor Rating. The flying licences obtained by boys and girls through this Institute are recognized all over the world. Many of the trainees got attractive jobs in Indian Airlines, Air India, Alliance Air, Sahara Airlines and Jet Airways etc.

3. Adviser, Civil Aviation is the head of the department and controlling officer of Civil Aviation department as well as Chief Executive Director of Haryana Institute of Civil Aviation (HICA) and looks after the budget and expenditure, planning and development of aerodromes in the Haryana State. The administrative and operational functioning of State Govt. VIP's aircraft is supervised by the Adviser, besides, the incumbent also monitors the work of flying and gliding training activities of HICA and liaises with Central Govt. entities such as Director General of Civil Aviation (DGCA), Ministry of Civil Aviation, Indian Air Force, Air Head Quarters New Delhi, Ministry of Defence, Ministry of Commerce etc. This post is being looked after by an I.A.S. Officer, in the rank of either Joint Secretary or Special Secretary since April,1989. The work of the administrative department is looked after by the Financial Commissioner and Principal Secretary to Governmnet of Haryana, Civil Aviation Department.

4. There are 55 sanctioned posts in the department, the details of which are as under:

TECHNICAL

S.No.	Name of the Post	No. of Sanctioned Post
1.	Adviser	01
2.	Senior Executive Pilot	01
3.	Junior Pilot	02
4.	Electronics Engineer	01
5.	Assistant Aircraft Engineer	01
6.	Senior Mechanic	03
7.	Junior Mechanic	05
	Total	**14**

NON-TECHNICAL

1.	Development-cum-Co-Ordination Officer	01
2.	Administrative Officer	01
3.	Deputy Superintendent	01
4.	Head Assistant (Accounts)	01
5.	Accountant	02
6.	Assistant	04
7.	Senior Scale Stenographer	01
8.	Junior Scale Stenographer	02
9.	Driver	03
10.	Steno typist	01
11.	Clerk	01
12.	Accounts Clerk	01
13.	Senior Storekeeper	01

14.	Storekeeper	01
15.	Store man	01
16.	Daftri	01
17.	Jamadar	01
18.	Helper	05
19.	Peon	05
20.	Chowkidar	01
21.	Chowkidar-cum-Mali-cum-Sweeper	06
	Total	**41**

Grand Total : 14 + 41 = 55 (Fifty Five)

5. In recent years the Civil Aviation sector in the country has been experiencing a trans-formational change. With many new aviation companies entering the scene, air travel at economical rates has become possible for a vast majority of Indians and correspondingly there has been a many fold increase in the demand for trained personnel, particularly pilots and aircraft maintenance engineers and technicians.

6. With the increased pressure on Indira Gandhi International Airport, an urgent requirement for another Airport near Delhi is being felt. Rapid Industrialization of NCR area, clustering of hi-tech industry and consequent urbanization is expected to contribute to the demand for a range of aviation related activities in the NCR region. Haryana Government forwarded a proposal for setting up an International Cargo Airport in tehsil Bahadurgarh, District Jhajjar as a public – private partnership venture involving the State Government, Airport Authority of India and a private partner(s).

7 The increased flying activity opens up several opportunities in training and support services for the civil aviation industry which the existing aviation facilities in Haryana at Hisar, Narnaul, Bhiwani, Karnal and Pinjore could take advantage of and benefit from, provided they suitably augment the infrastructure available at each of these facilities.

8. The department had already initiated several proposals for involving the private sector to set up Flying Training Academies at Pinjore, Hisar and Narnaul and upgrading infrastructure at Hisar Airfield BOO (Built

Own Operate) basis. In addition interest is being expressed by some large players in the specialized field of advanced aircraft flight training and maintenance operations in Haryana because of its locational advantage and the availability of air strips in close proximity to New Delhi. Haryana Institute of Civil Aviation (HICA) is working towards starting Aircraft Maintenance Engineer course with Technical Education Department at Nilokheri (Karnal). Separate land for the hangar for setting up own maintenance workshop of VIP Aircraft at Air Force Station Chandigarh is also being pursued.

9. The Departments of Civil Aviation and Transport had been functioning as two separate departments till a decision was taken by Councils of Ministers in its meeting held on 28.10.2005 to merge the two departments. The Notification dated 12-1-2006 issued in pursuance of this decision is at Annexure 'A'.

10. In view of the activities stated above, it is proposed that the merger of Civil Aviation Department with Transport Department alongwith its existing staff/posts, programmes/schemes and assets and liabilities may be re-visited on the following terms and conditions :-

i) The Transport and Civil Aviation Department will split into two independent departments, viz. Transport Department and Civil Aviation Department.

ii) That the functions of the head of department will be performed by Adviser, Civil Aviation, Haryana.

iii) That the functions of administrative department will be performed by the Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. Haryana, Civil Aviation Department /Special Secretary to Govt. Haryana, Civil Aviation Department.

iv) That all the existing technical and non-technical posts will remain.

v) That the rules and regulations for appointment, promotion etc. being adopted in the Civil Aviation Department remain the same. The service rules of Class A, B, C & D will also remain same.

vi) That the budget and expenditure of the civil aviation department will be maintained separately and will be under direct control of head of the department i.e. Adviser, Civil Aviation and drawing and disbursing officer will be of Civil Aviation Department who will work under direct control of head of the department.

vii) That the Haryana Institute of Civil Aviation(HICA) will also be looked after by the Adviser, Civil Aviation Haryana being head of the department, who will also function as Chief Executive Director of HICA.

viii) The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana/Special Secretary to Govt. Haryana, Civil Aviation Department will remain the Vice President of Haryana Institute of Civil Aviation.

11. In this regard Chief Secretary,Haryana, Finance Department and Transport Department have conveyed their concurrence in the matter vide their U.O. No. 62/61/2005-6GSI, dated 6/7-12-07, No.12/12/2005-1FG-II/2306, dated 26.11.07 and No.2/58/2005-3T(I), dated 27.11.07, respectively.

12 . As per provision contained in Sr.No. 15 of the Schedule of the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977, proposal involving any important change of policy and practice is required to be placed before the Council of Ministers for their approval. Accordingly, the matter regarding re-visiting of the Civil Aviation Department alongwith its staff/posts , programmes, schemes, assets, liabilities and infrastructure etc. from the Transport Department is placed before the Council of Ministers, Haryana for their consideration and approval.

13. Prior approval for placing the matter before the Council of Ministers has been obtained from the Hon'ble Chief Minister, Haryana.

(G. Prasanna Kumar)
Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana,
Civil Aviation, Department.

Dated Chandigarh
the 28-12-2007

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 24th January, 2006]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Notification

The 12th January, 2006

No. 2/21/2005-1CA.—The Governor of Haryana is pleased to merge Civil Aviation Department alongwith its existing staff, posts, programmes, schemes and assets and liabilities with Transport Department on the following terms and conditions :—

(i) That both these departments be merged into one Department under one Head of the Department *i.e.* Transport Commissioner, Haryana with the name and style "Transport and Civil Aviation Department".

(ii) That the functions of Adviser, Civil Aviation Haryana will be performed by Transport Commissioner, Haryana who will be the Head of the Department. However the post of Adviser, Civil Aviation Haryana will exist being highly technical.

(iii) That all the existing Technical and Non-Technical Posts will remain intact at the time of merger of the Civil Aviation Department with the Transport Department and the pay and perks of these posts will be protected and their seniority and terms of appointment will also be protected.

(iv) That the Rules and Regulations for appointment, promotion etc. being adopted in the Civil Aviation Department will not be changed in the Transport Department after their merging. The service rules of Class A, B, C and D will remain the same.

(v) The Ministerial staff of the Head Quarters as well as field of Civil Aviation Department will not be retrenched. By taking a humanitarian view, it will be merged will the Transport Department and the same will be suitably utilized by Head of the Department against the requirement in the Head Quarters as well as field and the ministerial staff would also be a dying cadre/diminishing cadre.

(vi) That on the merger of the Civil Aviation Department with the Transport Department the seniority of all incumbents posted on identical posts/cadre in the Civil Aviation Department shall be fixed in the identical posts/cadres of the transport Department and the incumbents of different posts of Civil Aviation Department which have no identical posts shall have their own entity.

D. S. DHESI,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Civil Aviation Department.

40218—C.S.—H.G.P., Chd.

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मन्त्री	मुख्य मंत्री, हरियाणा
प्रशासकीय सचिव	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमान्न विभाग।

विषयः– सिविल विमान्न विभाग को परिवहन विभाग से अलग करने बारे।

....

आधुनिक युग में निवेश आकर्षित करने के लिये यातायात व संचार के तीव्र साधनों की अत्याधिक महत्ता है। किसी भी क्षेत्र या प्रान्त के विकास में सिविल विमान्न उद्योग अहम भूमिका निभाता है। इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य वी आई पी हवाई जहाज का संचालन तथा हरियाणा राज्य के लड़के तथा लड़कियों को हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान जो कि पिंजौर, करनाल तथा हिसार हवाई अड्डों पर स्थित हैं के माध्यम से उड्डयन तथा ग्लाईडिंग प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य हेतु सिविल विमान्न प्रशिक्षण हवाई जहाज़, ग्लाईडर व अन्य उपकरणों की खरीद उनका रख–रखाव तथा नये हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों तथा विमान्न भवनों का विकास करता है तथा वर्तमान हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों तथा विमान्न भवनों जो कि राज्य में पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में स्थित हैं, की देखभाल करता है। इसके अतिरिक्त विभाग एयरक्राफ्ट मैंटीनैंस इंजीनियर लाईसैंस प्राप्त करने के लिये जो विद्यार्थी आते हैं उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

2. हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान हरियाणा राज्य के लड़के तथा लड़कियों तथा दूसरे लड़के/लड़कियों को कॉमर्शियल / व्यवसायिक हवाई जहाज़ के पायलट, सहायक पायलट इंसट्रक्टर लाईसैंस तथा पायलट इंसट्रक्टर लाईसैंस

2.

के लिये उड्डयन तथा ग्लाईडिंग प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उड्डयन प्रशिक्षण लेने के पश्चात् वे आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाओं के साथ उपयुक्त नौकरियाँ प्राप्त कर सकें। इस विभाग के माध्यम से जिन भी लड़के–लड़कियों ने उड्डयन प्रशिक्षण लाईसैंस प्राप्त किये हैं वे न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में मान्य हैं। इन लाईसैंसों के आधार पर बहुत से प्रशिक्षणार्थियों ने इण्डियन एयरलाईन, एयर इण्डिया, अलाईस एयर, सहारा एयरलाईनज तथा जैट एयरवेज में आकर्षक नौकरियाँ प्राप्त की हैं।

3. सलाहकार , सिविल विमान्न विभाग इस समय सिविल विमान्न विभाग के विभागाध्यक्ष तथा नियंत्रण अधिकारी तथा हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान के मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। वह विभाग का बजट, व्यय तथा विकास के कार्य देखते हैं। वह सिविल विमान्न विभाग तथा हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान के विभिन्न अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण भी करते हैं। वह प्रशासन तथा राज्य सरकार के वी आई पी हवाई जहाज से सम्बन्धित प्रशासनिक व प्रचालन कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं व हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान जोकि एक सोसायटी है और सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, द्वारा दिये जा रहे उड्डयन तथा ग्लाईडिंग प्रशिक्षण का भी निरीक्षण करते हैं। वह महानिदेशक, सिविल विमान्न, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भारतीय वायुसेना, एयर हैड क्वार्टरज, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली इत्यादि के साथ तालमेल रखते हैं। इस पद का कार्यभार भारतीय प्रशासनिक सेवा संयुक्त सचिव या विशेष सचिव की श्रेणी के स्तर वाले अधिकारी अप्रैल, 1989 से देख रहे हैं। प्रशासनिक विभाग का कार्य वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार की देख–रेख में हो रहा है।

4. विभाग में 55 पद स्वीकृत हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:–

तकनीकी

क्र.सं.	पद संज्ञा	स्वीकृत पद
1.	सलाहकार	01
2.	सीनियर एग्जीक्यूटिव पायलट	01
3.	जूनियर पायलट	02
4.	इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर	01
5.	असिसटैंट एयरक्राफ्ट इंजीनियर	01
6.	सीनियर मकैनिक	03
7.	जूनियर मकैनिक	05
	योग	14

गैर–तकनीकी

1.	विकास तथा तालमेल अधिकारी	01
2.	प्रशासनिक अधिकारी	01
3.	डिप्टी सुपरिंटैंडैंट	01
4.	मुख्य सहायक (लेखा)	01
5.	लेखाकार	02
6.	सहायक	04
7.	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	01
8.	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	02
9.	चालक	03

4.

10.	स्टैनौ—टाईपिस्ट	01
11.	क्लर्क	01
12.	अकाऊंटस क्लर्क	01
13.	सीनियर स्टोरकीपर	01
14.	स्टोरकीपर	01
15.	स्टोरमैन	01
16.	दफतरी	01
17.	जमादार	01
18.	हैल्पर	05
19.	सेवादार	05
20.	चौकीदार	01
21.	चौकीदार—कम—माली—कम—स्वीपर	06
	योग	41

कुल योग 14 + 41 = 55 (पचपन केवल)

5. नवीनतम वर्षों में पाया गया है कि भारत में सिविल विमान्न सैक्टर में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। बहुत सी नई कम्पन्नियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है जिससे भारतवासियों को हवाई यात्रा कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। समवर्ती जरूरत को देखते हुए प्रशिक्षित व्यक्ति, विशेषकर पायलट और हवाई जहाज के रख—रखाव अभियन्ता तथा मकैनिकों की मांग कई गुणा बढ़ गई है।

6. इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते हुये दबाव को देखते हुये दिल्ली के पास अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता है इसलिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते हुये शहरीकरण व ओद्यौगिकरण के कारण इस क्षेत्र में सिविल विमान्न गतिविधियों की मांग बढ़ गई है। हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विमान्पत्तन अधिकरण को तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्झर में अन्तर्राष्ट्रीय कारगो हवाई अड्डा बनाने के लिये प्रस्ताव भेजा हुआ है। यह परियोजना सरकार—प्राईवेट भागीदारी में जिसमें राज्य सरकार, भारतीय विमान्न प्राधिकरण व प्राईवेट भागीदार होंगे, बनाये जाने का प्रस्ताव है।

7. बढ़ती हुई व्यवसायिक आवश्यकता जैसे कि वर्तमान हवाई पट्टियां हिसार, करनाल, नारनौल, भिवानी तथा पिंजौर में हवाई पट्टी पर रात्रि के समय उड़ान करने के लिये लाईट का प्रबन्ध, बाऊंडरी वॉल तथा एक नया आधुनिक तकनीक का एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया जाना आवश्यक है।

8. विभाग ने पिंजौर, हिसार तथा नारनौल में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना में प्राईवेट सैक्टर को सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है तथा हिसार हवाई पट्टी का ढांचा बढ़ाने के लिये **BOO** प्रस्ताव मांगे गये हैं। हरियाणा की बेहतर भौगोलिक स्थिति व नई दिल्ली के समीप हवाई पट्टी की उपलब्धता के दृष्टिगत कई बड़ी कम्पन्नियों ने इस दिशा में रूचि दिखाई है। हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान नीलीखेड़ी, जिला करनाल में तकनीकी विभाग द्वारा वायुयान रख–रखाव अभियन्ता का कोर्स आरम्भ करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वी.आई.पी. हवाई जहाज़ की मुरम्मत करने के लिये कार्यशाला के लिये एयरफोर्स स्टेशन, चण्डीगढ़ में हैंगर के लिये भूमि लेने का प्रस्ताव एयरफोर्स, चण्डीगढ़ तथा भारत सरकार एयरपोर्ट अथोरटी को भेजा हुआ है।

9. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 28.10.2005 को दो विभागों के विलय के सम्बन्ध में हुई बैठक में सिविल विमान्न विभाग तथा परिवहन दो अलग विभागों के रूप में कार्य करने का निर्णय हो चुका है। निर्णय को लागू करने बारे अधिसूचना दिनांक 12.1.2006 को जारी किया गया था, की प्रति अनुबन्ध–'ए' पर है

10. उपरोक्त बताई गई परिस्थितियों के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि सिविल विमान्न विभाग को इसके कार्यरत अमले, पदों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा लेनदारियों/देनदारियों सहित परिवहन विभाग से अलग कर दिया जाये जिसके लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी:–

1. परिवहन विभाग तथा सिविल विमान्न विभाग अलग से दो स्वतंत्र विभाग होंगे जैसे कि परिवहन विभाग तथा सिविल विमान्न विभाग।
2. सलाहकार, सिविल विमान्न विभाग के कार्यक्रमों के विभागाध्यक्ष होंगे।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, तथा विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमान्न विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे।

6.

4. सिविल विमान्न विभाग के सभी तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पद बने रहेंगे। ऐसा करना विभागाध्यक्ष के तकनीकी तथा प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत होगा।

5. सिविल विमान्न विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिये जो नियम तथा अधिनियम लागू हैं, जैसे के तैसे रहेंगे और श्रेणी–ए, बी, सी तथा डी के सेवा नियम वही होंगे।

6. सिविल विमान्न विभाग का बजट तथा खर्चे का अलग से रख–रखाव किया जायेगा और यह विभागाध्यक्ष जो कि सलाहकार, सिविल विमान्न विभाग होंगे, की देख–रेख में किया जायेगा। सिविल विमान्न विभाग का अलग से आदान तथा प्रदान अधिकारी होगा जो कि विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा।

7. हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान की देख–रेख भी सलाहकार, सिविल विमान्न विभाग की शक्तियों के अनुसार की जायेगी और वह हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी होंगे।

8. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमान्न विभाग / विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमान्न विभाग, हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान के वाईस प्रैजीडैंट होंगे।

11. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव,हरियाणा, वित्त विभाग तथा परिवहन विभाग ने मामले में अपनी सहमति अशाः क्रमांक 62/61/2005–6जीएस I, दिनांक 6/7–12–07, कमांक 12/12/2005–1 एफजी–II/2306, दिनांक 26.11.07 तथा कमांक 2/58/2005–3 टी (1), दिनांक 27.11.07 के द्वारा प्रदान कर दी है।

12. हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम 1977 के अनुसूची के कमांक 15 के अन्तर्गत नीति या प्रथा के किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को करने वाले प्रस्ताव से सम्बन्धित मामले मंत्री परिषद् के सम्मुख उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने होते हैं। तदानुसार सिविल विमान्न विभाग को इसके अमले, पद, कार्यक्रम, योजना, लेनदारियों–देनदारियों तथा साजो–सामान इत्यादि सहित परिवहन विभाग से अलग करने का मामला मंत्री परिषद्, हरियाणा के सम्मुख उनके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13. यह मामला मन्त्री परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली है।

(जी0 प्रसन्ना कुमार)
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमान्न विभाग ।

चण्डीगढ़, दिनांक
28-12-2007

[...ract from Haryana Government Gazette, dated the 24th January, 2006]

62

हरियाणा सरकार

परिवहन तथा सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जनवरी, 2006

संख्या 2/21/2005-1 सी० ए०.—हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति से सिविल विमानन विभाग को इसके कार्यरत अमले, पदों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा लेनदारियों और देनदारियों सहित निम्न नियमों और शर्तों पर विलय किया जाता है :—

1. इन दोनों विभागों का एक विभाग में विलय कर दिया जायेगा जिसका एक ही विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त, हरियाणा होगा जिसका नाम तथा संज्ञा परिवहन तथा सिविल विमानन विभाग होगा।

2. सलाहकार, सिविल विमानन हरियाणा के कार्यक्रमों को परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा जो कि विभागाध्यक्ष होंगे। फिर भी सलाहकार, सिविल विमानन हरियाणा का पद उच्च तकनीकी होने के फलस्वरूप रखा जायेगा।

3. सिविल विमानन विभाग का परिवहन विभाग में विलय करने के समय सभी तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पद बने रहेंगे तथा अन्य सुविधाओं को भी सुरक्षित किया जायेगा और उनकी सिनियोरिटी तथा नियुक्ति की शर्तें भी सुरक्षित की जायेंगी।

4. सिविल विमानन विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए जो नियम तथा अधिनियम लागू हैं, परिवहन विभाग में विलय के पश्चात् बदले नहीं जायेंगे। श्रेणी-ए, बी, सी तथा डी के सेवा नियम वही होंगे।

5. सिविल विमानन विभाग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यक्षेत्रों में कार्यरत राजकीय अमले को हटाया नहीं जायेगा। इस अमले का विभागाध्यक्ष द्वारा परिवहन विभाग में सदुपयोग किया जायेगा और उनको सहानुभूतिपूर्वक मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों में लगा लिया जायेगा और राजकीय अमले का निरर्थक कैडर/घटने वाले क्रम वाला कैडर होगा।

6. सिविल विमानन विभाग का परिवहन विभाग में विलय होने के पश्चात् उन सभी व्यक्तियों जिनका समकक्ष पद/कैडर सिविल विमानन विभाग तथा परिवहन विभाग में एक ही है, की सिनियोरिटी संयुक्त आधार पर होगा और सिविल विमानन विभाग में जो पद भिन्न होंगे उन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सिनियोरिटी अलग से रहेगी।

डी० एस० ढेसी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग।

40218—C.S.—H.G.P., Chd.

- 54 -

Pe. put up on file for further action

54-TC 7/1/08

कार्यालय नागरिक सिविल विमानन हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
प्राप्ति संख्या 3778
दिनांक 07-1-2008

IMMEDIATE/CONFIDENTIAL
COUNCIL OF MINISTERS

Subject:- Seperation of Civil Aviation Department from Transport Department Haryana.

F.C. & P.S. Transport
Diary No. 55
Date 4-1-08

....

Will the Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana, Civil Aviation Department, kindly refer to his Department's U.O.No. 2/21/2005-1CA, dated 01.01.2008 on the subject noted above?

2. The Council of Ministers in its meeting held on 02.01.2008 has taken the following decision in this matter :-

"The proposal was approved ."

3. The Administrative Department is requested to kindly implement the decision of the Council of Ministers at the earliest and to send a copy of the orders issued in this regard, if any, to the Cabinet Section, within a fortnight, positively.

4. He is requested to keep in view the Government instructions contained in U.O.No. 5/313-Cabinet-88, dated 2.7.1991 while implementing the decision of the Council of Ministers.

Superintendent, Cabinet,
for Secretary, Council of Ministers, Haryana.

To

The Financial Commissioner & Principal Secretary,
to Government. Haryana, Civil Aviation Department ,
Chandigarh.

U.O.No.9/14/2008-2 Cabinet

Dated, Chandigarh, the 02nd January, 2008

HARYANA GOVERNMENT

CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Notification

the 28th January, 2008

No. 2/21/2005-1CA:- The Governor of Haryana is pleased to separate Civil Aviation Department alongwith its existing staff, posts, programmes, schemes and assets and liabilities from Transport Department on the following terms and conditions:-

(i) The Transport and Civil Aviation Department will be split into two independent departments viz. Transport Department and Civil Aviation Department.

(ii) The Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt., Haryana, Civil Aviation Department/Special Secretary to Govt., Haryana, Civil Aviation Department will be the Administrative Secretary of Civil Aviation Department.

(iii) That the functions of the head of department of Civil Aviation Department will be performed by Adviser, Civil Aviation, Haryana.

(iv) That all the existing technical and non-technical posts will remain intact. It will be under the technical and Administrative control of HOD.

(v) That the rules and regulations for appointment, promotion etc. being adopted in the Civil Aviation Department will remain the same. The service rules of Class A, B, C & D will also remain same.

(vi) That the budget and expenditure of the Civil Aviation Department will be maintained separately and will be under direct control of head of the department i.e. Advisor, Civil Aviation. Drawing and Disbursing Officer will be of Civil Aviation Department who will work under direct control of head of the department.

(vii) That the Haryana Institute of Civil Aviation (HICA) will also be looked after by the Advisor, Civil Aviation, Haryana and he will also function as Chief Executive Director of HICA.

(viii) The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana/ Special Secretary to Govt., Haryana, Civil Aviation Department will be Vice President of Haryana Institute of Civil Aviation.

G. PRASANNA KUMAR
Financial Commissioner & Principal
Secretary to Govt., Haryana,
Civil Aviation Department.

Endst.No. 2/21/2005-1CA Dated 31-1-2008

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that the above notification may kindly be published in the Haryana Government ordinary Gazette.

2. It is requested that 50 printed copies of the notification may please be sent to this department immediately.

Special Secretary Civil Aviation
for Financial Commissioner & Principal Secy. to
Govt., Haryana, Civil Aviation Department.

Endst.No. 2/21/2005-1CA Dated 31-1-2008

A copy each is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Adviser, Civil Aviation, Haryana, Chandigarh.
2. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
3. The Accountant General(Accounts), Haryana, Chandigarh

Special Secretary Civil Aviation
for Financial Commissioner & Principal Secy. to
Govt., Haryana, Civil Aviation Department

A copy each is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Secretary to Govt., Haryana (In General Services-I branch).
2. The Financial Commissioner & Principal Secy. to Govt., Haryana, Finance Department (in FG-II branch).
3. The Financial Commissioner & Principal Secy. to Govt., Haryana, Transport Department.

Special Secretary Civil Aviation
for Financial Commissioner & Principal Secy.
to Govt., Haryana, Civil Aviation Department

To

1. The Chief Secretary to Govt., Haryana (In General Services-I branch).
2. The Financial Commissioner & Principal Secy. to Govt., Haryana, Finance Department (in FG-II branch).
3. The Financial Commissioner & Principal Secy. to Govt., Haryana, Transport Department.

U.O.No. 2/21/2005-1CA Dated 31-1-2008

A copy is forwarded to the Secretary, Council of Ministers, Haryana (in Cabinet branch) for information and necessary action.

Special Secretary Civil Aviation
for Financial Commissioner & Principal Secy. to
Govt., Haryana, Civil Aviation Department

To

The Secretary, Council of Ministers,
Haryana (in Cabinet branch)

U.O.No. 2/21/2005-1CA Dated 31-1-2008

हरियाणा सरकार

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जनवरी, 2008

संख्या 2/21/2005–1सी0ए0:– हरियाणा के राज्यपाल की सस्वीकृति से सिविल विमानन विभाग को इसके कार्यरत अमले, पदों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा लेनदारियों और देनदारियों सहित निम्न नियमों और शर्तो पर परिवहन विभाग से अलग किया जाता है:–

1. परिवहन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग अलग से दो स्वतंत्र विभाग होंगे. जैसे कि परिवहन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग ।
2. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव तथा विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे ।
3. सलाहकार सिविल विमानन, सिविल विमानन विभाग के कार्यक्रमों के विभागाध्यक्ष होंगे ।
4. सिविल विमानन विभाग के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी पद बने रहेंगे । ऐसा करना विभागाध्यक्ष के तकनीकी तथा प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत होगा ।
5. सिविल विमानन विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिये जो नियम तथा अधिनियम लागू हैं जैसे के तैसे रहेंगे और श्रेणी ए, बी, सी तथा डी के सेवा नियम वही होगे ।
6. सिविल विमानन विभाग का बजट तथा खर्चे का अलग से रख रखाव किया जायेगा और यह विभागाध्यक्ष जोकि सलाहकार, सिविल विमानन विभाग होंगे की देख रेख में किया जायेगा । सिविल विमानन विभाग का अलग से आदान तथा प्रदान अधिकारी होगा जो कि विभागाध्यक्ष के नियन्त्रण में कार्य करेगा ।
7. हरियाणा सिविल विमानन संस्थान की देख रेख भी सलाहकार, सिविल विमानन विभाग की शक्तियों के अनुसार की जायेगी और वह हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी होंगे ।

8- वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग/विशेष सचिव हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के वाईस प्रैजीडैंट होंगे ।

जी0 प्रसन्ना कुमार
वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग ।

पृ0 कमांक 2/21/2005–1सी0ए0 दिनांक 31-1-2008

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के साधारण राजपत्र में प्रकाशित करवाने की कृपा करें । इस अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शीघ्र इस विभाग को भेजने की कृपा करें ।

विशेष सचिव, सिविल विमानन
कृतेः वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग

पृ0 कमांक 2/21/2005–1सी0ए0 दिनांक 31-1-2008

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. सलाहकार, सिविल विमानन, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. महालेखाकार, (लेखा) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

विशेष सचिव, सिविल विमानन
कृतेः वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग

पृ0 कमांक 2/21/2005–1सी0ए0 दिनांक 31-1-2008

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवायें–I शाखा) ।
2. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (एफ0जी0–II शाखा)
3. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग ।

विशेष सचिव, सिविल विमानन
कृतेः वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवायें–I शाखा) ।
2. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (एफ0जी0–II शाखा)
3. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग ।

अशाः कमांक 2/21/2005–1सी0ए0 दिनांक

एक प्रति सचिव, मंत्रिपरिषद, हरियाणा (कैबिनेट शाखा) को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

विशेष सचिव, सिविल विमानन
कृतेः वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग

सेवा में

सचिव, मंत्रिपरिषद, हरियाणा
(कैबिनेट शाखा)

अशाः कमांक 2/21/2005–1सी0ए0 दिनांक 31-1-2008

- 59

Sub: **Separation of Civil Aviation Department from Transport Department, Haryana.**

क्या सचिव, मन्त्रि-परिषद, हरियाणा कृपया उपरोक्त विषय पर अपने अशा:क्रमांक 9/14/2008–2 कैबिनट दिनांक 2.1.2008 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. सिविल विमानन विभाग को परिवहन विभाग, हरियाणा से अलग करने बारे notification (अंग्रेजी व हिन्दी) की एक मुद्रित प्रति उनको आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक सिविल विमानन
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग

सेवा में

सचिव, मन्त्रि परिषद, हरियाणा
(कैबिनेट शाखा में)

अशा:क्रमांक 2/21/2005–1 सी0ए0 दिनांक 24.3.2008

24.3.2008

- 16 -

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 12th February, 2008]

HARYANA GOVERNMENT

CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Notification

The 28th January, 2008

No. 2/21/2005-1CA.—The Governor of Haryana is pleased to separate Civil Aviation Department alongwith its existing staff, posts, programmes, schemes and assets and liabilities from Transport Department on the following terms and conditions :—

(i) The Transport and Civil Aviation Department will be split into two independent departments viz. Transport Department and Civil Aviation Department.

(ii) The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Civil Aviation Department/ Special Secretary to Government, Haryana, Civil Aviation Department will be the Administrative Secretary of Civil Aviation Department.

(iii) That the functions of the head of department of Civil Aviation Department will be performed by Adviser, Civil Aviation, Haryana.

(iv) That all the existing technical and non-technical posts will remain intact. It will be under the Technical and Administrative control of HOD.

(v) That the rules and regulations for appointment, promotion etc. being adopted in the Civil Aviation Department will remain the same. The service rules of Class A, B, C and D will also remain same.

(vi) That the budget and expenditure of the Civil Aviation Department will be maintained separately and will be under direct control of head of the department *i.e.* Advisor, Civil Aviation. Drawing and Disbursing Officer will be of Civil Aviation Department who will work under direct control of head of the department.

(vii) That the Haryana Institute of Civil Aviation (HICA) will also be looked after by the Advisor, Civil Aviation, Haryana and he will also function as Chief Executive Director of HICA.

(viii) The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana/Special Secretary to Government, Haryana, Civil Aviation Department will be Vice President of Haryana Institute of Civil Aviation.

G. PRASANNA KUMAR,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Civil Aviation Department.

- 61

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 12th February, 2008]

हरियाणा सरकार

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जनवरी, 2008

संख्या 2/21/2005/1सी०ए०.—हरियाणा के राज्यपाल की सस्वीकृति से सिविल विमानन विभाग को इसके कार्यरत अमले, पदों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा लेनदारियों और देनदारियों सहित निम्न नियमों और शर्तों पर परिवहन विभाग से अलग किया जाता है :—

1. परिवहन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग अलग से दो स्वतंत्र विभाग होंगे जैसे कि परिवहन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव तथा विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे।
3. सलाहकार सिविल विमानन, सिविल विमानन विभाग के कार्यक्रमों के विभागाध्यक्ष होंगे।
4. सिविल विमानन विभाग के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी पद बने रहेंगे। ऐसा करना विभागाध्यक्ष के तकनीकी तथा प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत होगा।
5. सिविल विमानन विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिये जो नियम तथा अधिनियम लागू हैं जैसे के तैसे रहेंगे और श्रेणी ए, बी, सी तथा डी के सेवा नियम वही होंगे।
6. सिविल विमानन विभाग का बजट तथा खर्चे का अलग से रख रखाव किया जायेगा और यह विभागाध्यक्ष जोकि सलाहकार, सिविल विमानन विभाग होंगे, की देख रेख में किया जायेगा। सिविल विमानन विभाग का अलग से आदान तथा प्रदान अधिकारी होगा जो कि विभागाध्यक्ष के नियन्त्रण में कार्य करेगा।
7. हरियाणा सिविल विमानन संस्थान की देख रेख भी सलाहकार, सिविल विमानन विभाग की शक्तियों के अनुसार की जायेगी और वह हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी होंगे।
8. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग/विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के वाईस प्रैज़ीडैंट होंगे।

जी० प्रसन्ना कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिविल विमानन विभाग।

43674—C.S.—H.G.P., Chd.